राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)( ) MCHN-Day/IEC/ICDS/2015/ 134454-86 दिनांक : 10-10-16

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषयः— नियमित टीकाकरण सत्रों की समयावधि तक आंगनबाड़ी केन्द्र खुले रखे जाने बाबत्।

प्रसंगः— चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का पत्र क्रमांक इम्यू./1.1.1/2016–17/458 दिनांक 16.08.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि अधिकांश जिलों में नियमित टीकाकरण के दिन आंगनबाड़ी केन्द्र दोपहर 12.00 बजे ही बन्द हो जाते है, जिसके कारण लाभार्थी सुविधाओं से वंचित रह जाते है, जबकि यह हमारे विभाग की महत्वपूर्ण सेवा है। नियमित टीकाकरण सत्रों का समय प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक रहता है तथा ये सत्र आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित होते है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सुनिश्चित करें कि आपके जिले की समस्त परियोजनाओं में टीकाकरण सत्र के दिन आंगनबाड़ी केन्द्र गर्मियों में प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे (01 अप्रेल से 30 सितम्बर तक) तथा सर्दियों में प्रातः 10.00 बजे से सायंः 5.00 बजे (01 अक्टूबर से 31 मार्च तक) तक खुले रहे तथा केन्द्र पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा–सहयोगिनी के द्वारा टीकाकर्मी को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावें।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)(29) WIFS/IEC/ICDS/2014/ 134487-792 दिनांक : 10-10-16

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, जयपुर को उनके पत्रांक इम्यू./1.1.1/2016–17/458 दिनांक 16.08.16 के क्रम में सूचनार्थ।
2. एसीपी (उप निदेशक) निदेशालय, को भेजकर लेख है कि कम्प्यूटर पर अपलोड कर विभाग की वैबसाईट पर इसे डालने का श्रम करें।
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ को पालनार्थ

(बिन्दु करूणाकर)
अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर